



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 श्रावण 1947 (श10)
(सं० पटना 1376) पटना, बुधवार, 13 अगस्त 2025

बिहार विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

3 जुलाई 2025

सं० 1स्था०-31/2025-1636/वि०स०—बिहार विधान सभा (भरती और सेवा शर्तों) नियमावली, 2018 के नियम-14 के अधीन अध्यक्ष, बिहार विधान सभा, सभा सचिवालय में समूह-ख के अंतर्गत स्टेनोग्राफर एवं आप्त सचिव संवर्ग के निजी सहायक/आप्त सचिव के पद पर प्रोन्नति हेतु विभागीय परीक्षा के पाठ्यक्रम एवं विषय आदि के विनियम के संबंध में निम्नलिखित आदेश विनिर्दिष्ट करते हैं :-

बिहार विधान सभा सचिवालय (विभागीय परीक्षा की पद्धतियाँ) आदेश, 2025

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - यह आदेश बिहार विधान सभा सचिवालय (विभागीय परीक्षा की पद्धतियाँ) आदेश, 2025 कहा जा सकेगा ।
2. यह आदेश अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा ।
3. बिहार विधान सभा सचिवालय में समूह 'ख' के अंतर्गत स्टेनोग्राफर एवं आप्त सचिव संवर्ग के निजी सहायक/आप्त सचिव के पद पर प्रोन्नति हेतु विभागीय परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं विषय वहीं होगी जो नीचे वर्णित है :-

प्रथम पत्र - हिन्दी लिखित एवं बिहार विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली ।

द्वितीय पत्र - कम्प्यूटर की व्यवहारिक जानकारी ।

तृतीय पत्र - आशुलेखन एवं टंकण ।

प्रत्येक पत्र का पूर्णांक 100 (एक सौ) अंकों का होगा तथा उत्तीर्णांक 40 (चालीस) अंकों का होगा । परंतु अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति उम्मीदवार के लिए उत्तीर्णांक 30 अंकों का होगा । स्टेनोग्राफर एवं आप्त सचिव संवर्ग में टंकण एवं आशुलेखन की जो दक्षता नियुक्ति के समय अपनाई गयी है वही दक्षता विभागीय परीक्षा में भी होगी । उपर्युक्त विषय की परीक्षा (अनुवादन, आशुलेखन एवं टंकण को छोड़कर) का प्रश्न कोष वस्तुनिष्ठ (Objective) रूप में होगा ।

अध्यक्ष, बिहार विधान सभा के आदेश से,

ख्याति सिंह,

प्रभारी सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।

बिहार गजट (असाधारण) 1376-571+25-डी0टी0पी0

Website : <https://egazette.bihar.gov.in>